पवन कुमार जैन

बनाम

उ० प्र० प्रदेशीय एवं निवेश निगम लि० और अन्य

11 अगस्त, 2004

[न्यायमूर्ति एस.एन.वरियावा एवं न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत]

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1972; धारा 3 एवं 4 बैंकरो और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993: धारा 2(ब) और 3:

राज्य औद्योगिक और निवेश निगम द्वारा जमानती के विरुद्ध ऋण के लिए नोटिस जारी करना- उच्च न्यायालय द्वारा खारिज रिट याचिका और पुनर्विलोकन याचिका को चुनौती- अपील में अभिनिर्धारित, चूंकि निगम द्वारा यू० पी० अधिनियम के अंतर्गत वसूली नोटिस केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूली अधिनियम के अनुसार ऋण की वसूली करने में समर्थ बनाना- ऋण की वसूली के लिए निगम द्वारा आरंभ की गई कार्यवाही उ० प्र० अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्जित नहीं होगी। इसलिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण में मामले को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है- चूंकि मूल ऋणी की संपत्ति निगम द्वारा नहीं बेची गई है जमानती के विरुद्ध वसूली नोटिस

जारी करना न्यायनुमत नहीं है- वसूली नोटिस को रद्द किया जाता है- राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951- धारा 29

प्रत्यर्थी संख्या 1- राज्य वित्तीय एवं निवेश निगम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1972 के संदर्भ में अपीलार्थी-जमानती के विरुद्ध एक वसूली नोटिस जारी किया। अपीलार्थी ने इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका और पुनर्विलोकन याचिका भी खारिज कर दी। इसलिए वर्तमान अपील है।

अपीलार्थी जमानती द्वारा यह तर्क दिया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 राज्य औद्योगिक और निवेश निगम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शोध्य ऋण वसूली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऋण की वसूली कर सकता है और इस प्रकार निगम द्वारा उ० प्र० अधिनियम के अंतर्गत जारी वसूली नोटिस को रद्द किए जाने की आवश्यकता है; जब तक की मूल ऋणी की संपत्ति बेची नहीं जाती तब तक निगम उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता और चूंकि निगम और ऋणी के मध्य एकमुश्त समझौता हो गया था और संपत्ति का कब्जा निगम द्वारा ले लिया गया था, निगम उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता।

प्रत्यर्थी संख्या- 1- निगम ने तर्क दिया कि चूंकि वसूली नोटिस अधिसूचना से बहुत पहले का था, उ० प्र० अधिनियम के अंतर्गत वर्जित नहीं है; चूंकि मूल ऋणी ने चूक की थी और मूल ऋणी की संपत्ति की

बिक्री से ऋण की वसूली संभव नहीं थी, वसूली की राशि के लिए जमानती के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई और वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत मूल ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण किया और अभिनिर्धारित किया

1.1. चूंकि ऋण वसूली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऋण की वसूली के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने से पहले राज्य औद्योगिक और निवेश निगम द्वारा कार्यवाही उ० प्र० अधिनियम के अंतर्गत आरम्भ की गई थी; वर्जित नहीं होगी और उसे न्यायाधिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा [450- ए, बी]

1.2. उ० प्र० अधिनियम के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार जमानती के विरुद्ध कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जब तक की मूल देनदार की संपत्ति पहले बेच नहीं दी जाती। चूंकि निगम ने मूल- ऋणी की संपत्ति नहीं बेची है इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही बरकरार नहीं रखी जा सकती। इसलिए वसूली नोटिस को रद्द किया जाता है यद्यपि निगम यूनीक बुटायल ट्यूब के मामले में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही कर सकता है [453- बी, सी, डी]

यूनीक बुटाइल इंडस्ट्रीज़ (प्रा०) (लि०) बनाम उ० प्र० वित्तीय निगम और अन्य (2003) 2 एस सी सी 455, पर विश्वास व्यक्त किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3636-3637/1998

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 1.9.97-6.11.97 से सी. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 28391 और सी. एम. आवेदन संख्या 69541/1997

वी. ए. मोहता, राकेश के. खन्ना, नीरज शर्मा, शशांक शेखर और सूर्यकांत अपीलार्थी की ओर से।

आरोही भल्ला और सुश्री सुजाता कुर्दुकार प्रत्यार्थी संख्या 1 की ओर से।

सुश्री शोभा दीक्षित, राजीव कुमार दुबे और कमलेंद्र मिश्रा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. एन. वरियावा द्वारा सुनाया गया।

ये अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 1.9.97 के आदेश के विरुद्ध हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी की रिट याचिका खारिज कर दी गई और दिनांक 6.11.1997 के आदेश के विरुद्ध, जिसके द्वारा पुनर्विलोकन याचिका खारिज कर दी गई है।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं।

प्रथम प्रत्यर्थी ने चतुर्थ प्रत्यर्थी को अग्रिम धनराशि दी थी। अपीलार्थी उक्त तथाकथित ऋण के संबंध मे जमानती था क्योंकि उस समय वह चतुर्थ प्रत्यर्थी- कम्पनी का निदेशक था। इस रिट याचिका के द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक (देय की वसूली) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उसके विरुद्ध जारी वसूली नोटिस को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका और पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया है।

श्री मोहता ने तर्क प्रस्तुत किया कि केंद्रीय सरकार ने यह निर्दिष्ट करते हुए, बैंको और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम (1993) (जिसे इसके पश्चात ऋण वसूली अधिनियम निर्दिष्ट किया जाएगा) की धारा 2 (एच) में परिभाषित वित्तीय संस्था के परिपेक्ष्य में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था केवल ऋण वसूली अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित तरीके से कार्यवाही कर सकती है। उन्होंने कहा कि ऋण वसूली अधिनियम के प्रावधानों को छोड़ने और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक देय की वसूली अधिनियम 1972 (जिसे इसके बाद उ० प्र० अधिनियम कहा जाएगा) के अंतर्गत मशीनरी का उपयोग किया जाना संभव नहीं है। इस कारण नोटिस गलत है और उसे रद्द किए जाने की आवश्यकता है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने यूनीक बुटाइल ट्यूब इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०

बनाम उ० प्र० फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और अन्य (2003) 2 एस सी सी 455 पर विश्वास व्यक्त किया। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऋण वसूली अधिनियम के अन्तर्गत शब्द एक वित्तीय संस्था उ० प्र० अधिनियम के अन्तर्गत आगे अग्रसर नहीं होगी।

यह निर्णय हमारे ऊपर बाध्यकारी होगा। यद्यपि जवाब में श्री भल्ला ने ध्यान दिलाया कि प्रथम प्रत्यर्थी- संस्था के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना केवल 29.1.2004 को जारी की गई है, जबकि वसूली प्रमाण-पत्र बहुत पहले की दिनांक का है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस मामले में उ० प्र० अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही वर्जित नहीं है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि वसूली अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत, जहां केवल किसी न्यायालय के समक्ष वाद या कार्यवाही लंबित हो, जो उसे अधिनियम के अंतर्गत स्थापित न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दी गई है। हमारे मत में श्री भल्ला सही हैं। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने से पहले कार्यवाही आरंभ की गई थी इसलिए कार्यवाही वर्जित नहीं होगी और उसे न्यायाधिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

श्री मोहता ने तब उ० प्र० अधिनियम की धारा 3 और 4 का विश्वास व्यक्त किया कि जो इस प्रकार है:–

"3. कतिपय देयों की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली । (1) जहां कोई व्यक्ति पक्षकार है -

(ए) राज्य सरकार या निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उसे दिए गए किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान अथवा उसे उधार, बेचे गए या किराया- क्रय पर बेचे गए माल से संबद्ध किसी अनुबंध में; या

(बी) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत यथा स्थिति बैंकिंग कंपनी या किसी सरकारी कंपनी द्वारा उसे दिए गए किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान या उधार बेचे गए या किराया -विक्रय पर बेचे गए माल से संबद्ध किसी अनुबंध में; या

(सी) किसी औद्योगिक संस्था द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में राज्य सरकार या निगम द्वारा दी गई प्रत्याभूति से संबद्ध किसी अनुबंध में; या

(डी) किसी ऐसे अनुबंध में जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई हो कि राज्य सरकार को तद्धीन देय कोई धनराशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी, और ऐसा व्यक्ति -

(i) ऋण या अग्रिम धनराशि या किसी किस्त के पुनर्भुगतान में कोई चूक करता है; या

(ii) अनुदान की शर्तों के अधीन उत्तरादायी होने के कारण अनुदान अथवा उसके भाग या उसके किस्त को वापस करने में कोई चूक करें; या

(iii) अन्यथा अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, -तो, राज्य सरकार के मामले में ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए तथा निगम या सरकारी कंपनी के मामले में उसका प्रबंध निदेशक और किसी बैंकिंग कंपनी की दशा में उसका स्थानीय प्रतिनिधि वह चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, कलेक्टर को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करके इस अनुरोध के साथ एक प्रमाण पत्र भेज सकता है कि ऐसी देय धनराशि को कार्यवाहियों के व्यय सहित भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जाए।

(2) कलेक्टर प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उसमे उल्लिखित धनराशि भू-राजस्व के बकाए की तरह वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

(3) उपाधारा (1) में अभिनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपर्युक्त प्रकार से देय किसी भी राशि की वसूली के लिए कोई वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

4. व्यावृत्तियां (1) धारा 3 में, किसी बात के होते हुए भी

(ए) राज्य सरकार, निगम, सरकारी कंपनी या किसी बैंकिंग कंपनी, जो किसी बंधक, भार, गिरवी या अन्य प्रभार से सृजित सम्पत्ति के हित को प्रभावित नहीं करेगी; या

(बी) उक्त धारा में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उक्त धारा में विनिर्दिष्ट किसी अनुबंध के संबंध में की गई क्षतिपूर्ति या प्रत्याभूति की संविदा के संबंध में अथवा खंड (ए) में निर्दिष्ट किसी हित के संबंध में कोई वाद लाने में रोक नहीं होगी या न ही किसी अन्य अधिकार या उपचार पर कोई प्रभाव पड़ेगा

(2) यदि धारा 3 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की संपत्ति राज्य सरकार, निगम, सरकारी कंपनी, बैंकिंग कंपनी के पक्ष में किसी बंधक, भार, गिरवी या अन्य किसी प्रभार के अंतर्गत है; तो

(ए) माल की गिरवी के प्रत्येक मामले में सर्वप्रथम गिरवी रखी गई चीज को बेचने की कार्यवाही की जाएगी और यदि

इसका विक्रय आगम देय धनराशि से कम हो तो अवशेष की वसूली के लिए इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानो कि वह भू-राजस्व की बकाया हो:

परंतु यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि यथास्थिति स्वयं उसे अथवा निगम, सरकारी कंपनी अथवा बैंकिंग कंपनी को देय धनराशि की वसूली को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह कारण अभिलिखित करके निर्देश दे सकती है कि गिरवी रखी गई चीज की बिक्री के पूर्व अथवा बिक्री की कार्यवाही करते समय देय धनराशि की वसूली के लिए उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानो कि वह भू-राजस्व की बकाया हो।

(बी) किसी अचल संपत्ति पर होने वाले बंधक, भार अथवा अन्य प्रभार के प्रत्येक मामले में सर्वप्रथम ऐसी संपत्ति, या जैसा भी मामला हो, संपत्ति में चूककर्ता का हित पहले उस व्यक्ति से देय राशि की वसूली के लिए कार्यवाही में बेचा जाएगा मानो कि वह भू-राजस्व की बकाया हो और तदुपरांत अन्य कोई भी कार्यवाही केवल तभी की जाएगी जब कलेक्टर यह प्रमाणित करें कि युक्तियुक्त समय के

भीतर प्रथम वर्णित प्रक्रिया द्वारा देय संपूर्ण धनराशि को वसूल किये जाने की कोई संभावना नहीं है।"

उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों के आधार पर प्रथम प्रत्यर्थी/ जमानती के विरुद्ध तब तक अग्रसर नहीं हो सकता जब तक कि प्रथम प्रत्यर्थी पहले मूल ऋणी की संपत्ति बेच नहीं देता जो कि उनके पक्ष में बंधक रखी गई थी। उन्होंने ध्यान दिलाया कि 22 जुलाई, 1996 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 29 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गई थी और भौतिक कब्जा ले लिया गया था। उन्होंने ध्यान दिलाया कि उसके बाद 12.2.1996 को प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा चतुर्थ प्रत्यर्थी के साथ एकमुश्त समझौता किया गया था। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इसके बाद संपत्ति प्रथम प्रत्यर्थी को वापस सौंप दी गई। उनका तर्क है कि इसलिए प्रथम प्रत्यर्थी अपीलार्थी के विरुद्ध आगे कार्यवाही करने का हकदार नहीं है।

श्री भल्ला उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हैं। किंतु वह तर्क देते है कि कंपनी ने चूक की है और इसलिए एकमुश्त समझोता असफल रहा। उन्होंने कहा कि चतुर्थ प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा संपत्तियों को पूर्व में भी बेचने के प्रयास किए गए थे किंतु कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने कहा की धारा 29 के अंतर्गत फिर से कार्यवाही चतुर्थ प्रत्यर्थी कंपनी के विरुद्ध आरंभ की गई। उन्होंने कहा कि चूंकि चतुर्थ प्रत्यर्थी कंपनी ने चूक की और संपत्ति के विक्रय से वसूली

संभव नहीं थी तब धनराशि की वसूली के लिए जमानती के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

हमारे विचार में उ० प्र० अधिनियम के उपरोक्त निर्धारित प्रावधान बहुत स्पष्ट है। जमानती के विरुद्ध कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जब तक मूल ऋणी की संपत्ति पहले बेच नहीं दी जाती। चूंकि अपीलार्थी ने मूलऋणी की संपत्ति नहीं बेची है इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही बरकरार नहीं रखी जा सकती। इसलिए हम वसूली नोटिस को रद्द करते हैं।

हालांकि हम यह भी स्पष्ट करते हैं की प्रथम प्रत्यर्थी के यूनीक बुटाइल ट्यूब के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध आगे कार्यवाही कर सकता है।

अपीले तदनुसार निस्तारित की जाती हैं। खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलें निस्तारित की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजबीर सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।